CIN-U13100RJ1969SGC001263
GSTIN-08AABCR4695J1ZW

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

Rajasthan State Industrial Development
& Investment Corporation Ltd.
(A Rajasthan Government Undertaking)

Mewar Industrial Area Road No. 2, UDAIPUR - 313003
Phone No. : 0294-2491494 Fax No. : 0294-2490168

No. : - 5289
Dated : - 05/3/18

जन सम्पर्क अधिकारी,
रीको लि., उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर

विषय :— नवीन औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार), उदयपुर की सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार), उदयपुर में 225.6050 हैक्टयर निजी खातेदारी भूमि में से 174.00 हैक्टयर निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों / हितधारियों, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अन्य न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है, खातेदारों की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसानों को भूखण्ड आवंटन (20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

5/3/18

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

Head Office : Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur - 302005
☏ 2227751, 5113201 Fax No. : 91-141-5104804
E-mail : udaipur@riico.co.in

कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लिमिटेड, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, रोड नम्बर 2, उदयपुर।

सार्वजनिक विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कलडवास के लिये ग्राम डाकनकोटडा, फान्दा, बिलिया एवं कलडवास, तहसील गिर्वा की निजी खातेदारी भूमि अवाप्त किये जाने के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी, गिर्वा उदयपुर द्वारा दिनांक 14.05.2009 को अंतिम अवार्ड जारी किया गया था। इस अवार्ड में अवाप्त भूमि के नकद मुआवजे राशि के विकल्प के रूप में हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों को 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

उक्त अवार्ड में ऐसी अवाप्तधीन 174.00 हैक्टेयर निजी भूमि, जिसके संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा अवार्ड में घोषित हितबद्ध व्यक्ति अथवा खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, के वारिसानों को सूचित किया जाता है कि वे मृतक खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण संबंधित संशोधन/अधिकार पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इकाई कार्यालय में यह विज्ञप्ति जारी होने से 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें ताकि उनके मुआवजे राशि के विकल्प में विकसित भूमि देने की कार्यवाही की जा सकें।

5/3/13

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको लि0 उदयपुर

D:\MY DATA\Downloads\Vigyapti.docx